पत्र संख्या-स्था-1-सामान्य स्थानान्तरण वर्ष-2013-14 / 5343 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 15 मार्च , 2013

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गत वर्ष सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शासन की वार्षिक स्थानान्तरण नीति के क्रम में स्थानान्तरण की पात्रता में आने वाले विभागीय राजपत्रित अधिकारियों से विकल्प आमंत्रित किये गये थे। वर्ष 2013-14 की स्थानान्तरण नीति अभी शासन से जारी नहीं हुई है, परन्तु गत वर्ष की शासन की स्थानान्तरण नीति तथा विभाग की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुरुप विकल्प आमंत्रित है, ताकि शासन की स्थानान्तरण नीति आने पर शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में शीघ्रता से स्थानान्तरण सम्पन्न हो सके। स्थानान्तरण की परिधि में आने वाले अधिकारी अपना स्थानान्तरण विकल्प संलग्न प्रारुप में **दिनांक 31-03-2013** तक अपने एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि कोई अधिकारी प्रस्तावित स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण की पात्रता परिधि में नहीं आते हैं, परन्तु किन्हीं कारणों वश स्वेच्छा से अपना स्थानान्तरण चाहते हों , तो वे भी अपने स्थानान्तरण हेतु विकल्प उक्त निर्धारित प्रारुप में निर्धारित तिथि तक अपने एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर को उपलब्ध करायेगे। एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों से प्राप्त विकल्प तथा यदि वह स्वयं भी स्थानान्तरण नीति में आते हों या स्थानान्तरण हेतु इच्छुक हों तो अपने विकल्प सहित अधिनस्थ अधिकारियों के विकल्प **दिनांक 05-04-2013** तक मुख्यालय प्राप्त करायेंगे। स्थानान्तरण के पात्र / इच्छुक अधिकारी अपने विकल्प की अग्रिम प्रति सीधे ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना)वाणिज्य कर, मुख्यालय को भी भेजेंगे।

निम्नलिखित श्रेणी के अधिकारियों के स्थानान्तरण पर इस वर्ष विचार किया जाना प्रस्तावित है :-

1. उ0प्र0शासन की स्थानान्तरण नीति के तहत वाणिज्य कर विभाग में समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारी जो अपने सेवा काल में किसी जनपद में कुल 06 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, को उक्त जिलों से स्थानान्तरित किया जायेगा। इसी प्रकार समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारी जो मण्डल में 10 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, उन्हें उक्त मण्डलों से स्थानान्तरित किया जायेगा। समूह-क के अधिकारियों को उनके गृह मण्डल में तैनात नहीं किया जायेगा। समूह-ख के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा। अतः स्थानान्तरण विकल्प प्रेषित करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरण विकल्प प्रेषित किया जाय। **विकल्प मात्र स्थान / जनपद हेतु प्रेषित किये जांय न कि पद विशेष के लिए।**
2. वह सभी अधिकारी जो सचलदल में दिनांक 12-10-2013 को एक वर्ष और वि0अनु0शा0 में दो स्थानान्तरण सत्र पूर्ण कर चुके।
3. सचलदल से सचलदल अथवा वि0अनु0शा0 में एवं वि0अनु0शा0 से वि0अनु0शा0 अथवा सचलदल में तैनाती नहीं की जायेगी।
4. डिप्टी कमिश्नर वि0अनु0शा0 के पद पर तैनाती में ऐसे अधिकारियों को वरीयता दी जायेगी जो पूर्व में वि0अनु0शा0 के पद पर कार्यरत नहीं रहे हैं।
5. जो एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(अपील),ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक),ज्वाइंट कमिश्नर (कारपोरेट सेल), ज्वाइंट कमिश्नर (टैक्स आडिट),डिप्टी कमिश्नर (क0नि0), असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0) **दिनांक 31-07-2013** को अपने पद पर तीन वर्ष पूर्ण कर चुके है, उन्हें उसी जनपद में अन्य पद पर तैनाती हेतु विचार किया जायेगा।
6. मुख्यालय, उच्च न्यायालय कार्य, सर्वोच्च न्यायालय कार्य-गाजियाबाद, प्रशिक्षण केन्द्र, डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन), डिप्टी कमिश्नर (क0नि0/करवसूली) डिप्टी कमिश्नर राज्यप्रतिनिधि के पदों पर एक वर्ष से तैनात अधिकारी यदि अन्य पदों पर तैनाती के इच्छुक है तो वह अपना विकल्प तदनुसार प्रस्तुत करेंगे।

7. ऐसे समस्त ज्वाइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर एवं असिस्टेन्ट कमिश्नर जो पूर्ण सेवा काल में कभी मुख्यालय, हाई कोर्ट वर्क्स, सुप्रीम कोर्ट वर्क्स, राज्य प्रतिनिधि, कर वसूली अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर प्रशासन के पदों पर तैनात नहीं रहे हैं, कार्यात्मक आवश्यकतानुसार उनकी तैनाती इन पदों पर करने पर विचार किया जायेगा।

8. किसी अधिकारी के व्यक्तिगत कारण जैसे-चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा के आधार पर स्थान रिक्त होने अथवा दूसरे अधिकारी के सहमत होने पर स्थानान्तरण/समायोजन किया जा सकेगा बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो। इस श्रेणी के अधिकारी अपने विकल्प के साथ सम्पूर्ण तथ्य साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करेंगे।

9. मानसिक रुप से विक्षिप्त बच्चों के माता-पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर करने का प्रयास किया जायेगा जहाँ चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो।

10. विकलांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक जिनके आश्रित परिवारीजन विकलांगता से प्रभावित हों को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाएगा। ऐसे विकलांग कार्मिको के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किए जायेगे। विकलांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किए जाने पर पद की उपलब्धता के आधार पर उसे उसके गृह जनपद मे तैनात करने पर विचार किया जा सकता है।

11. प्रशासनिक आधार पर अधिकारियों का स्थानान्तरण तथा शासकीय कार्यहित को दृष्टिगत रखते हुए समयावधि को विचलित किया जा सकता है।

12. संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि नही की जायेगी।

13. विकल्प के अनुरुप जनपद में अधिकारियों की तैनाती का यथासंभव प्रयास किया जायेगा, परन्तु उसके फलस्वरुप विकल्प के अनुसार जनपद में तैनाती किये जाने का कोई अधिकार किसी अधिकारी को प्राप्त नहीं होगा एवं इस आधार पर कोई दावा अनुमन्य नहीं होगा।

14. स्थानान्तरण के सम्बन्ध में बाह्य अथवा राजनैतिक दबाव डलवाने वाले अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। पद विशेष की सिफारिश अथवा इस हेतु वाह्य एवं राजनैतिक दबाव डलवाने वाले अधिकारियों की सत्यनिष्ठा संदिग्ध मानते हुये उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

15. यदि पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों, तो उन्हें यथासम्भव एक ही जनपद / नगर / स्थान पर तैनाती करने हेतु स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

शासन द्वारा स्थानान्तरण नीति में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उक्त नीतिगत निर्देश तद्नुसार संशोधित माने जायेगें तथा आवश्यकतानुसार अधिकारी अपना संशोधित विकल्प लौटती डाक से प्रेषित करेंगे।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के आदेशों के क्रम में उनसे प्राप्त अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

<u>संलग्नक - उपर्युक्तानुसार।</u>

ह0/-
(बी0राम शास्त्री)
एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक : उक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, कर एवं निबन्धन (अनुभाग-1/3) उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय लखनऊ।
2. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक(प्रशिक्षण) कर प्रबन्धन एवं शोध संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।
4. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वे अपने परिक्षेत्र में वांछित अधिकारियों की संख्या का औचित्य भेजते हुए निम्न प्रारुप में विवरण भेजने का कष्ट करें।

a. परिक्षेत्र में कार्यरत कुल अधिकारियों की संख्या।

b. सम्भाग की पेन्डेन्सी (डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारी)के संबंध में।
c. अन्य कार्य हेतु अपेक्षित अधिकारी।
d. यदि आप किसी जिले या मण्डल में पेन्डेंसी के आधार पर किसी अपर अधिकारी की तैनाती चाहते है तो उस जिले मण्डल का नाम सूचित करें।

5. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील) / ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील)वाणिज्य कर को इस आशय से कि वे अपने स्तर पर लम्बित अपीलों की संख्या का पूर्ण विवरण प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. ज्वाइन्ट कमिश्नर(सर्वोच्च न्यायालय कार्य)वाणिज्य कर, गाजियाबाद / उच्च न्यायालय कार्य / लखनऊ / इलाहाबाद
7. रजिस्ट्रार ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. मुख्यालय पर तैनात समस्त अधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि यदि वे निर्धारित नीति के अनुसार स्थानान्तरण हेतु ड्यू होते हो, तो उपरोक्तानुसार सूचना / विकल्प निर्धारित तिथि **दिनांक 31-03-2013** तक ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर, मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
9. मैनुअल / सेन्ट्रल रिकार्ड, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
10. स्था-1 / स्था-2 पटल मुख्यालय को 10 अतिरिक्त प्रतियाँ।

15/03/13

(विनोद कुमार सिंह)
ज्वाइंट कमिश्नर(स्थापना) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

-: **<u>विकल्प का प्रारुप :-</u>**

1	अधिकारी का पूरा नाम,पदनाम व कोड			
2	जन्मतिथि,गृह जनपद व मण्डल			
3	जनपद का विकल्प	(1) (2) (3) (4) (5)		
4	अन्य विकल्प	(1) मुख्यालय (2) उच्च न्यायालय कार्य,इलाहाबाद (3) उच्च न्यायालय कार्य,लखनऊ (4) सर्वोच्च न्यायालय कार्य,गाजियाबाद (5) प्रशिक्षण संस्थान,लखनऊ । (6) डिप्टी कमिश्नर (क0नि0/क0व0अ0) (7) डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) (8) राज्यप्रतिनिधि		
5	स्थानान्तरण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य (यदि कोई अधिकारी अपने पक्ष में देना चाहते हो)			
6	**-:प्रमाण-पत्रः-** उत्तर प्रदेश राजकीय कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम-27 के अनुसार मैं,अपने स्थानान्तरण में किसी राजनैतिक अथवा प्रशासनिक दबाव का प्रयोग नही करुँगा तथा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में समस्त विभागीय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करुँगा			
7	हस्ताक्षर			